



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी०लिब०) में
प्रवेश हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए (सत्र 2018-19)

छायाचित्र नमूना	
अभ्यर्थी अपना नाम व रागिन छायाचित्र खिंचवाने का दिनांक इस प्रकार से छायाचित्र पर अंकित कराये। (विस्तृत विवरण क्रमांक 11 पर)	
अशोक भरतिया 5 अगस्त 2018	

आवश्यक नियम व निर्देश :-

1. आवेदन-पत्र को पूरित करने का कार्य अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा ।
2. आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सभी आवश्यक नियम/निर्देश अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें ।
3. ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी०लिब०) पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय में संचालित होता है।
4. अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि वह प्रवेश की अर्हता के नियमों का स्वयं अध्ययन कर अर्हता पूर्ण होने पर ही आवेदन को पूरित करें। अपनी अर्हतापूर्ति की परीक्षा की पात्रता के लिए सुनिश्चित करना उसी का दायित्व होगा। अर्हतापूर्ति होने पर उसको विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई साक्षात्कार-पत्र निर्गत किया जायेगा।
5. आवेदन-पत्र की पूर्ति के समय और साक्षात्कार के पहले अपनी पात्रता को सुनिश्चित करना अभ्यर्थी का दायित्व होगा। यदि अभ्यर्थी ने अप्रामाणिक तथ्य दिये हैं अथवा उनमें किसी भी प्रकार की असत्यता पायी जायेगी तो प्रवेश एवं वार्षिक परीक्षा के उपरान्त भी विश्वविद्यालय ऐसे छात्र के विरुद्ध आनुशासनिक तथा प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा और छात्र इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेगा। क्योंकि अर्हता सुनिश्चित करने का दायित्व अभ्यर्थी का ही होता है।

प्रवेश के लिए अर्हता-

6. ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी०लिब०) कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को, आवेदन-पत्र जमा करने के अन्तिम दिनांक तक, शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

छात्र-संख्या का निर्धारण -

7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान (सीट) की संख्या में ही प्रवेश होंगे। ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी०लिब०) पाठ्यक्रम में 38 स्थान (सीट) निर्धारित हैं।
8. प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता-सूची के आधार पर अर्हता होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।
यदि श्रेष्ठता-सूची के अनुसार प्रदेश के बाहर अर्ह छात्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो सामान्य श्रेष्ठता समची के आधार पर रिक्तियाँ भरी जायेंगी।

स्थानों का आरक्षण-

9. ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी०लिब०) कक्षा में प्रवेश के लिये स्थानों का आरक्षण-
(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के पक्ष में स्थानों की कुल संख्या के क्रमशः 21, 2 व 27 प्रतिशत तक की प्रवेश सीमा में प्रवेश लिया जायेगा। 30प्र० शासनादेश संख्या 2638/15-10-94-15(66)/89 दिनांक 20 जुलाई 1994 अथवा प्रवेश के समय प्रभावी आरक्षण नियम के अनुसार प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के नियम लागू होंगे।
(ख) यदि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का स्थान भरने हेतु अनुसूचित जनजाति के पात्र-अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे स्थान अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र पर अनुसूचित जनजाति स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है।

उपरोक्त अनुच्छेद 'ख' के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 'क' के अधीन आरक्षित स्थानों में से कोई स्थान पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाता है तो सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

(ग) 30प्र० शासन के आदेश संख्या 1191/सत्तर-2-2010-3(58)/79 दिनांक 11 जून 2010 के अनुसार निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित के अनुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण दिया जायेगा।

(अ) स्वतन्त्रता-संग्राम-सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश स्थानों का अधिकतम 2 प्रतिशत।

(ब) उत्तर प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त/अपंग रक्षाकर्मियों/युद्ध में वीरगति को प्राप्त रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश शासन में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश स्थानों का अधिकतम 5 प्रतिशत।

(स) शारिरिक रूप से निःशक्तजनों (दिव्यांगों) के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश स्थानों का अधिकतम 3 प्रतिशत।

(द) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश-स्थानों का अधिकतम 20 प्रतिशत।

(घ) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 31-10-2003 को लिये गये निर्णय के अनुसार-

विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी को ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी0लिब0) कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित स्थानों के क्रमशः 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत कुल 8 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार सम्मिलित करके वरीयता के क्रम से प्रवेश दिया जा सकेगा। इस क्रम में (ग) तथा (घ) संवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों का नियोक्ता द्वारा संस्थागत अभिलेख के आधार पर देय निवास-प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। प्रवेश दिनांक को सेवारतों को ही यह लाभ अनुमन्य है।

टिप्पणी-

(क) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त जाति-प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रदत्त प्रमाण-पत्र पर संवर्ग स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

(ख) विकलांग अभ्यर्थी को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है, जिससे अन्य छात्रों में बीमारी फैलने या उनके कक्षा-शिक्षण में आधा उपस्थित होने की संभावना हो।

(ग) विश्वविद्यालय-कर्मियों के आश्रितों के लिये कुलसचिव का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(घ) स्वतन्त्रता-संग्राम-सेनानियों के आश्रितों/उत्तर प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में वीरगति को प्राप्त रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश शासन में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(च) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र (डोमिसाइल प्रमाण-पत्र) अनिवार्य रूप से देना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए मूल निवास-प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रवेश साक्षात्कार के लिए आवेदन-पत्र को भरना-

10. आवेदन-पत्र के साथ विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लगाये गये संलग्नक, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित करके प्रपत्र 'क' में संलग्न होने चाहिये। इसके पश्चात् प्रपत्र 'ख' संलग्न होना चाहिये। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वह प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख' के पृष्ठ 1 पर दी गयी संलग्नकों की जाँच-सूची में निर्धारित क्रम के अनुसार संलग्नकों को लगाये तथा उन क्रमांकों को गोले से घेर दे, जिनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक संवर्ग श्रेणी के लिए कूट(कोड) निर्धारित किये गये हैं। आवेदन-पत्रों को सावधानी से भरें। इसमें की गयी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होगा।

ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी0लिब0) कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर दिनांक 30 जुलाई 2018 से प्राप्त किया जा सकता है। बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन पत्र प्राप्त और जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 22 अगस्त 2018 है। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र दिनांक 25 अगस्त 2018 तक जमा किये जा सकेंगे।

आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू 800.00 (आठ सौ रूपये मात्र) के डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि 'वित्ताधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी' के नाम से देय होगा के साथ जमा किये जा सकेंगे। बिना निर्धारित शुल्क के कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

डाक द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र तथा आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ भर कर निर्दिष्ट लिफाफे में रखकर 'संयोजक, प्रवेश-प्रकोष्ठ, विज्ञान विभाग, पाणिनी भवन, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी' को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा हाथ से इस प्रकार भेजा जाय कि वह निर्धारित अन्तिम तिथि 22 अगस्त 2018 को सायं 5 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो सके। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अन्तिम दिनांक 25 अगस्त 2018 तक प्रवेश-प्रकोष्ठ के काउन्टर पर हाथ से ही जमा किया जा सकेगा। विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र डाक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

आवेदन पत्र सभी आवश्यक संलग्नकों ड्राफ्ट इत्यादि सहित 'संयोजक, प्रवेश-प्रकोष्ठ, बी0लिब0, विज्ञान विभाग, पाणिनी भवन, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी' में जमा करें।

आवेदन-पत्र के छायाचित्र, प्रमाणपत्रों अथवा लब्धांक पत्रों का सत्यापन-

11. आवेदन-पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की (सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्वप्रमाणित) एक-एक छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के निर्धारित स्थानों पर 3 सेमी 4 सेमी आकार का तत्काल खिंचा हुआ एक-समान रंगीन स्वप्रमाणित छायाचित्र (जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं छायाचित्र खिंचवाने का दिनांक अंकित होना चाहिये)। छायाचित्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। छायाचित्र इस प्रकार खिंचा होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी का चेहरा, आँख, नाक व कान स्पष्ट दिखाई दें। टोपी एवं रंगीन काँच का चश्मा लगाकर खिंचा गया छायाचित्र मान्य नहीं होगा। स्वतः प्रमाणित किए हुए अभिलेखों पर स्वप्रमाणित लिखकर स्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, अथवा आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्रव्यवहार नहीं किया जाएगा और न ही बाद में भेजे गये संलग्नकों को स्वीकार किया जायेगा।

12. अपूर्ण अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त तथा निर्धारित आवेदन-पत्र के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भेजे गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् अलग से भेजे गये प्रमाण-पत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र अथवा अस्पष्ट प्रमाणपत्र एवं सक्षम अधिकारियों से भिन्न किसी के द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।

प्रवेश-साक्षात्कार का आयोजन-

13. प्रवेश-साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 4 सितम्बर 2018 को प्रवेश-प्रकोष्ठ, विज्ञान विभाग, पाणिनी भवन, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में होगी।

अतिरिक्त अंकों का आवण्टन-

14. (1) कोई भी अतिरिक्त अंक प्रपत्र-‘क’ एवं ‘ख’ में अभ्यर्थना करने पर ही देय होगा। इन प्रपत्रों में यथास्थान अतिरिक्त अंक को उनके कोड के समक्ष अंकित करें, तथा अतिरिक्त अंक की पात्रता प्रमाणित करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

(2) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक के सम्मुख अंक आवण्टित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 25 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को -

1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा -

प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	15 अंक
द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	10 अंक
तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	05 अंक
2. टीम आइटम्स में -

सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15 अंक
सर्व उपविजेता (रनर्स अप) टीम का सदस्य होने पर	10 अंक
प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05 अंक
3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तरमहाविद्यालयीय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता में-

सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10 अंक
इन्डीविजुअल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	10 अंक

विशेष : 1 उपर्युक्त मद संख्या (1),(2) एवं (3) के अन्तर्गत तीनों आइटम्स में से केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम्स में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम आइटम का लाभ देय होगा।

2. राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

3. अन्तर विश्वविद्यालयीय अथवा अन्तरमहाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में विश्वविद्यालय के खेलकूद विभाग के निदेशक/अध्यक्ष/सचिव या क्रीड़ा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड्स तथा रोवर्स/रेन्जर्स के अभ्यर्थियों को-

1. एन.सी.सी. में ‘सी’ प्रमाणपत्र पाने वाले पुरुष/महिला अभ्यर्थियों तथा ‘जी-2’ प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थियों को 15 अंक

या

2. एन.सी.सी. में ‘बी’ प्रमाणपत्र पाने वाले पुरुष/महिला अभ्यर्थियों तथा ‘जी-1’ प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थियों को 10 अंक

- को 3.राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 15 अंक
- या
- 4.राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवं एक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक
- या
- 5.राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 05 अंक
- या
- 6.स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 15 अंक
- या
7. स्काउट एवं गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स के निपुण प्रमाण-पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 10 अंक
- या
8. स्काउट एवं गाइड्स के ध्रुवपद/द्वितीय सोपान या गुरुपद/तृतीय सोपान प्रशिक्षण प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स के प्रवीण प्रमाण-पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को 05 अंक
- विशेष :
- कमांक 14(2)(ख) के मदो मे केवल एक ही लाभ देय होगा।
 - नेशनल कैडेट कोर का प्रमाणपत्र महानिदेशक, नेशनल कैडेट कोर द्वारा निर्गत किया गया ही मान्य होगा।
 - राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा प्रतिकुलपति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होगा।
 - राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाणपत्र मे दो शिविर या एक शिविर के साथ-साथ सेवा कार्य के घण्टों का उल्लेख न होने पर अतिरिक्त अंक का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
 - स्काउट एवं गाइड्स का प्रमाणपत्र शासन द्वारा निर्गत किया ही मान्य होगा।
- (ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के पुत्र/पुत्री या पुत्र का पुत्र/अविवाहित पुत्री को 15 अंक
(प्रमाणपत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो)
- (घ) ऐसे अभ्यर्थी, जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों, या ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग, लापता, मृत है, उनके वे अभ्यर्थी पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप मे सम्बन्धित हों, को 15 अंक
- (ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एफ.एस. या आई.टी.बी.टी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड (वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र) में सेवारत हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हों, जो कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए शहीद हुए हों को 15 अंक
- (च) ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसी महिला अभ्यर्थी को विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता होने का कानूनी प्रमाणपत्र दाखिल करना होगा) को 15 अंक
- (छ) ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी0लिब0) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अथवा इससे सम्बन्धित महाविद्यालय से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण हों (आचार्य परीक्षा इस हेतु मान्य नहीं होगी) 05 अंक
- विशेष : 1. यदि किसी अभ्यर्थी की उपर्युक्त 'क' से 'छ' तक उल्लिखित मदों में से 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता-सूची में जोड़े जायेंगे। उपर्युक्त विवरण के साथ आरक्षण, निवास एवं अतिरिक्त अंक से सम्बन्धित प्रविष्टियों को दिनांक 2 सितम्बर 2018 से प्रवेश प्रकोष्ठ कार्यालय पर देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दिनांक 2 सितम्बर 2018 से 3 सितम्बर 2018 तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक प्रवेश प्रकोष्ठ कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अंकित करा सकते हैं। **इसके उपरान्त आरक्षण,निवास एवं अतिरिक्त अंक से सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्बन्ध में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।**
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट प्रमाणपत्र से भिन्न कोई प्रमाण-पत्र अथवा अस्थाई प्रमाण-पत्र अतिरिक्त अंकों के लिए मान्य नहीं होंगे।

श्रेष्ठता-सूची तैयार करना-

15. स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियम व निर्देश (14) के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त अंक (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी, शासनादेश सं. 451/एक्स.वी. 1187-3/5/79, लखनऊ, दिनांक 5 मई 1987 के अनुसार) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिए पृथक्-पृथक् सूचियाँ तैयार की जायेंगी। यदि अभ्यर्थियों के प्रवेश-परीक्षाफल में देय अंक आदि जोड़ने के बाद भी समान अंक रहते

हैं तो अग्रांकित नियम लागू होंगे- ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री पाठ्यक्रम के लिए पिछले स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरीयता के क्रम से लिया जायेगा। यदि इसमें भी समान अंक रहते हैं तो उससे नीचे की कक्षा के अंकों को वरीयता के क्रम से लिया जायेगा।

बी.लिब. पाठ्यक्रम में स्नातक कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जायेगा।

अन्य निर्देश एवं सूचनाएँ-

16. श्रेष्ठता-सूची का कोई अभ्यर्थी, जिसके आचरण के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गई हो, अथवा जिसके विरुद्ध आपराधिक कानूनी कार्यवाही चल रही हो अथवा जो किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, अथवा विश्वविद्यालय के परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक के लिए निष्कासित किया गया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी की सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

17. विश्वविद्यालय द्वारा श्रेष्ठता-सूची में आने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को दूरभाष/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना दी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सूचना भेजने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। प्रवेश-साक्षात्कार में सफल होने पर ही विश्वविद्यालय में निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा। इस दिनांक के उपरान्त प्रवेश हेतु उसका अधिकार नहीं रहेगा।

18. समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। तत्पश्चात् निर्धारित दिनांक तक सम्बन्धित विभागाध्यक्ष छात्रों के मूल प्रमाण-पत्र की जाँच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगे। प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को स्थानान्तरण/प्रवजन प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा एवं दूरभाष द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

19. प्रवेशावेदन-पत्र का मूल्य 800/- रुपये होगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।

प्रवेश-साक्षात्कार-सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण

1. विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त करने का प्रारम्भ	30 जुलाई 2018
2. आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर जमा करने की अन्तिम तिथि	22 अगस्त 2018
3. विलम्ब शुल्क रु 200/- के साथ प्रवेशावेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर जमा करने की अन्तिम तिथि	25 अगस्त 2018
4. साक्षात्कार की तिथि	4 सितम्बर 2018

अतिरिक्त अंक प्राप्त हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित कोड एवं अतिरिक्त अंक

अतिरिक्त अंक प्राप्त हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र

	अंक-कोड	अतिरिक्त अंक
(क)	राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय या अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए	
	1. इन्डिविजुअल आइटम में -	
	प्रथम स्थान पाने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
	द्वितीय स्थान पाने का प्रमाण-पत्र	10 अंक
	तृतीय स्थान पाने का प्रमाण-पत्र	05 अंक
	2. टीम आइटम्स में-	
	सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
	सर्व उप-विजेता (रनर्स-अप) टीम का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र	10 अंक
	प्रतिभागी टीम का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र	05 अंक
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर्महाविद्यालयीय टूर्नामेण्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता में-	
	सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र	10 अंक
	इण्डिविजुअल में प्रथम स्थान पाने का प्रमाण-पत्र	10 अंक
(ख)	नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड्स तथा रोवर्स/रेन्जर्स के अभ्यर्थियों के लिए	
	1. एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष/महिला अभ्यर्थी तथा 'जी-2' प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी	15 अंक
	2. एन.सी.सी. में 'बी' प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष/महिला अभ्यर्थी तथा 'जी-1' प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी	10 अंक
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं दो या अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक या विशेष शिविर में भाग लेने का प्रमाण-पत्र	10 अंक
	5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत मात्र 240 घण्टे की सेवा करने का प्रमाण-पत्र.	05 अंक
	6. स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
	7. स्काउट एवं गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त होने का अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का निपुण प्रमाण-पत्र	10 अंक
	8. स्काउट एवं गाइड्स के ध्रुवपद/द्वितीय सोपान या गुरुपद/तृतीय सोपान प्रशिक्षण प्राप्त होने का अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का प्रवीण प्रमाण-पत्र.	05 अंक
(ग)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री होने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
(घ)	सक्रिय सेवारत, विसैन्यीकृत, शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा अपंग, लापता, मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में सम्बन्धित होने का प्रमाण-पत्र।	15 अंक
(ङ)	पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड में सेवारत, अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हुए कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
(च)	विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्त महिला अभ्यर्थी होने का प्रमाण-पत्र	15 अंक
(छ)	ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सं.सं.वि.वि. से अथवा इससे सम्बद्ध महाविद्यालय से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो, का प्रमाण-पत्र। (आचार्य परीक्षा इस हेतु मान्य नहीं होगी।)	05 अंक

विशेष : अतिरिक्त अंक के कोड के समक्ष प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अंक को आवेदन-पत्र में निम्न प्रकार से लिखें-

1. राष्ट्रस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क के नीचे 15 अंक लिखें।
2. स्वतंत्रता सं. से के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी ग के नीचे 15 अंक लिखें।

अतिरिक्त अंक का कोड	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	योग
अतिरिक्त अंक	15		15						25

विशेष : अतिरिक्त अंकों का लाभ किसी भी स्थिति में 25 अंक से अधिक नहीं होगा। अतः 30 अंक पाने वाला अभ्यर्थी भी योग के समक्ष 25 अंक का ही उल्लेख करें।



प्रपत्र- 'क'

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी.लि.) प्रवेश-परीक्षा आवेदन-पत्र
(सत्र 2018-19)

आवेदन पत्रांक

.....

कार्यालय प्रयोग

- अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) : श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(अंग्रेजी में) : Shree/Smt./Km.....
 - पिता का नाम : श्री
 - माता का नाम : श्रीमती
 - अभ्यर्थी का स्थायी पता :पिन.....
 - पत्र-व्यवहार का पता :पिन.....
- दूरभाष ईमेल

निर्देश के अनुसार ही
अपना स्व-प्रमाणित
छायाचित्र चिपकायें।

- बैंक ड्राफ्ट नं बैंक का नाम..... स्थान.....
दिनांक..... राशि.....

7. आरक्षित संवर्ग

(अपना संवर्ग लिखें। आरक्षण एवं निवास के लिए तत्सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।)

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	अध्यापक आश्रित	कर्मचारी आश्रित	प्रदेश	
							उ.प्र.	अन्य प्र.

8. अतिरिक्त अंक (निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक भरें। अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें अथवा सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।)

अतिरिक्त अंक का कोड	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	योग (अधिकतम 25 अंक)
अतिरिक्त अंक								

9. अभ्यर्थी के लिए जाँच-सूची (अभ्यर्थी संलग्न अभिलेख का क्रमांक गोले से घेर दें एवं निम्नांकित क्रम से ही लगायें)-

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का होने का प्रमाण-पत्र
- विकलांग होने का प्रमाण-पत्र।
- निवास का प्रमाण-पत्र।
- अभ्यर्थी के किसी परिचय-पत्र की स्पष्ट छायाप्रति। (शैक्षणिक संस्था/प्रदेश शासन/भारत सरकार द्वारा प्रदत्त)
- बैंक ड्राफ्ट
- अतिरिक्त अंक सम्बन्धित प्रमाण-पत्र
 - राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/अन्तर विश्वविद्यालयीय/अन्तरमहाविद्यालयीय खेलकूद का प्रमाण-पत्र।
 - एन.सी.सी. का प्रमाण-पत्र। एन.एस.एस. शिविर एवं सामान्य कार्यक्रम के घण्टे का प्रमाण-पत्र।
स्काउट एवं गाइड के राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत होने का अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का प्रमाण-पत्र।
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री होने का प्रमाण-पत्र।
 - सक्रिय सेवारत/विसैन्यीकृत/शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा अपंग, लापता, मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
 - पुलिस/पी.एस.सी./बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी/सी.आर.पी.एफ./होमगार्ड में सेवारत, अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए मृत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण-पत्र।
 - विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त महिला अभ्यर्थी होने का प्रमाण-पत्र।
 - सं.सं.वि.वि. से अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय से शास्त्री उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र।

संलग्नकों की कुल संख्या : (अंकों में)..... (शब्दों में).....

कार्यालयीय प्रयोग हेतु
(इसे अभ्यर्थी न भरे)

प्रदेश	
जाति संवर्ग	
विकलांग	
अध्यापक/कर्मचारी आश्रित	
अतिरिक्त अंको का योग	
हस्ताक्षर सदस्य, प्रवेश-प्रकोष्ठ	

दिनांक

अभ्यर्थी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर

(कृ.प.उ.)



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी.लि..) प्रवेश-परीक्षा आवेदन-पत्र
(सत्र 2018-19)

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) : श्री/श्रीमती/कुमारी.....
2. पिता का नाम : श्री
3. माता का नाम : श्रीमती
4. अभ्यर्थी का पहचान का चिह्न (प्रदर्शनीय चिह्न-तिल, मस्सा या घाव का निशान)
5. लिंग : स्त्री/पुरुष (स्पष्ट लिखें)
6. अभ्यर्थी का जन्म-दिनांक (पूर्वमध्यमा, हाईस्कूल या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)-

दिनांक	माह	वर्ष

7. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण (स्नातक तीनों वर्षों को अंक-पत्र तथा समस्त प्रमाण-पत्रों व लब्धांक-पत्रों की स्पष्ट छायाप्रति सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा स्वतः प्रमाणित करके ही आवेदन-पत्र में संलग्न करें अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अनुक्रमांक	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1.	पूर्व मध्यमा/हाईस्कूल या समकक्ष							
2.	उत्तरमध्यमा/इण्टरमीडिएट या समकक्ष							
3.	शास्त्री/स्नातक (प्रथम वर्ष)							तीनों वर्षों का योग प्रतिशत
4.	शास्त्री/स्नातक (द्वितीय वर्ष)							
5.	शास्त्री/स्नातक (तृतीय वर्ष) सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स)							

मैं शपथपूर्वक प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण एवं उनसे सम्बन्धित संलग्न समस्त प्रमाण-पत्र, लब्धांक-पत्र सही हैं। मैंने प्रवेशावेदन-पत्र से संलग्न निर्देश-पत्र को ठीक से पढ़ और समझ लिया है। यदि कोई विवरण या संलग्नक असत्य अथवा प्रमाणिक पाया जाता है तो विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही करें, तथा मेरे प्रवेश को किसी भी स्तर पर निरस्त कर दें।

अभ्यर्थी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर - हिन्दी में.....

दिनांक अंग्रेजी में

पुरुष अभ्यर्थी बायें हाथ के तथा
महिला अभ्यर्थी दायें हाथ के अँगूठे
का स्पष्ट निशान यहाँ लगायें।

विशेष :

आवेदन-पत्र से संलग्न नियम व निदेश के अनुसार न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र ही आवेदन करें। अपूर्ण आवेदन-पत्र तथा प्रमाण-पत्र व अंक-पत्र की अस्पष्ट छाया प्रति संलग्न होने पर आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। यह पूर्णरूपेण अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह आवेदन-पत्र को स्वयं स्पष्ट शब्दों में पूर्ण कर सभी संलग्नकों की स्पष्ट छायाप्रति यथानिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी से अथवा स्वतः प्रमाणित करके आवेदन-पत्र में संलग्न करें। स्वतः प्रमाणित किए हुए अभिलेखों पर स्वप्रमाणित लिखकर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। किसी त्रुटि या अपूर्णता के सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा, न ही बाद में भेजे गये संलग्नकों को स्वीकार किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आरक्षण तथा निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र न जमा अभ्यर्थी को सम्बन्धित लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। अतिरिक्त अंकों के लिए नियम व निर्देश-पत्र में उल्लिखित अधिकारी का ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें अन्यथा कोई अंक देय नहीं होगा। समस्त प्रमाण-पत्र नियम व निदेश-पत्र में उल्लिखित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं शासन/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। निवास-प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी अन्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) का मान्य होगा।



प्रपत्र- 'ख'

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी.लि..) प्रवेश-परीक्षा आवेदन-पत्र
(सत्र 2018-19)

आवेदन पत्रांक

कार्यालय प्रयोग

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) : श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(अंग्रेजी में) : Shree/Smt./Km.....
2. पिता का नाम : श्री
3. माता का नाम : श्रीमती
4. अभ्यर्थी का स्थायी पता :पिन.....
5. पत्र-व्यवहार का पता :पिन.....

निर्देश के अनुसार ही
अपना स्व-प्रमाणित
छायाचित्र चिपकायें।

6. बैंक ड्राफ्ट नं बैंक का नाम..... स्थान.....
दिनांक..... राशि.....
7. आरक्षित संवर्ग

(अपना संवर्ग लिखें। आरक्षण एवं निवास के लिए तत्सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।)

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ वर्ग	विकलांग	अध्यापक आश्रित	कर्मचारी आश्रित	प्रदेश	
							उ.प्र.	अन्य प्र.

8. अतिरिक्त अंक (निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक भरें। अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें अथवा सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।)

अतिरिक्त अंक का कोड	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	योग (अधिकतम 25 अंक)
अतिरिक्त अंक								

9. अभ्यर्थी के लिए जाँच-सूची (अभ्यर्थी संलग्न अभिलेख का क्रमांक गोले से घेर दें एवं निम्नांकित क्रम से ही लगायें)-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का होने का प्रमाण-पत्र
2. विकलांग होने का प्रमाण-पत्र।
3. निवास का प्रमाण-पत्र।
4. अभ्यर्थी के किसी परिचय-पत्र की स्पष्ट छायाप्रति। (शैक्षणिक संस्था/प्रदेश शासन/भारत सरकार द्वारा प्रदत्त)
5. बैंक ड्राफ्ट
6. अतिरिक्त अंक सम्बन्धित प्रमाण-पत्र
 - (क) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/अन्तर विश्वविद्यालयीय/अन्तरमहाविद्यालयीय खेलकूद का प्रमाण-पत्र।
 - (ख) एन.सी.सी. का प्रमाण-पत्र। एन.एस.एस. शिविर एवं सामान्य कार्यक्रम के घण्टे का प्रमाण-पत्र।
स्काउट एवं गाइड के राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत होने का अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का प्रमाण-पत्र।
 - (ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री होने का प्रमाण-पत्र।
 - (घ) सक्रिय सेवारत/विसैन्यीकृत/शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा अपंग, लापता, मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
 - (ङ) पुलिस/पी.एस.सी./बी.एस.एफ./आई.टी.बी.पी./सी.आर.पी.एफ./होमगार्ड में सेवारत, अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त, अपंग या सेवारत रहते हुए मृत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण-पत्र।
 - (च) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्त महिला अभ्यर्थी होने का प्रमाण-पत्र।
 - (छ) सं.सं.वि.वि. से अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय से शास्त्री उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र।

संलग्नकों की कुल संख्या : (अंकों में)..... (शब्दों में).....

दिनांक

अभ्यर्थी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर

(कृ.प.उ.)

कार्यालयीय प्रयोग हेतु
(इसे अभ्यर्थी न भरे)

प्रदेश	
जाति संवर्ग	
विकलांग	
अध्यापक/कर्मचारी आश्रित	
अतिरिक्त अंको का योग	

हस्ताक्षर सदस्य, प्रवेश-प्रकोष्ठ



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी.लि..) प्रवेश-परीक्षा आवेदन-पत्र
(सत्र 2018-19)

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) : श्री/श्रीमती/कुमारी.....
2. पिता का नाम : श्री
3. माता का नाम : श्रीमती
4. अभ्यर्थी का पहचान का चिह्न (प्रदर्शनीय चिह्न-तिल, मस्सा या घाव का निशान)
5. लिंग : स्त्री/पुरुष (स्पष्ट लिखें)
6. अभ्यर्थी का जन्म-दिनांक (पूर्वमध्यमा, हाईस्कूल या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)-

दिनांक	माह	वर्ष

7. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण (स्नातक तीनों वर्षों को अंक-पत्र तथा समस्त प्रमाण-पत्रों व लब्धांक-पत्रों की स्पष्ट छायाप्रति सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा स्वतः प्रमाणित करके ही आवेदन-पत्र में संलग्न करें अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अनुक्रमांक	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1.	पूर्व मध्यमा/हाईस्कूल या समकक्ष							
2.	उत्तरमध्यमा/इण्टरमीडिएट या समकक्ष							
3.	शास्त्री/स्नातक (प्रथम वर्ष)							प्रतिशत योग का वर्ष की
4.	शास्त्री/स्नातक (द्वितीय वर्ष)							
5.	शास्त्री/स्नातक (तृतीय वर्ष) सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स)							

मैं शपथपूर्वक प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण एवं उनसे सम्बन्धित संलग्न समस्त प्रमाण-पत्र, लब्धांक-पत्र सही हैं। मैंने प्रवेशावेदन-पत्र से संलग्न निर्देश-पत्र को ठीक से पढ़ और समझ लिया है। यदि कोई विवरण या संलग्नक असत्य अथवा प्रामाणिक पाया जाता है तो विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही करें, तथा मेरे प्रवेश को किसी भी स्तर पर निरस्त कर दें।

अभ्यर्थी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर - हिन्दी में.....
दिनांक अंग्रेजी में

पुरुष अभ्यर्थी बोंय हाथ के तथा
महिला अभ्यर्थी दायें हाथ के अँगूठे
का स्पष्ट निशान यहाँ लगायें।

विशेष :

आवेदन-पत्र से संलग्न नियम व निदेश के अनुसार न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र ही आवेदन करें। अपूर्ण आवेदन-पत्र तथा प्रमाण-पत्र व अंक-पत्र की अस्पष्ट छाया प्रति संलग्न होने पर आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। यह पूर्णरूपेण अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह आवेदन-पत्र को स्वयं स्पष्ट शब्दों में पूर्ण कर सभी संलग्नकों की स्पष्ट छायाप्रति यथानिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी से अथवा स्वतः प्रमाणित करके आवेदन-पत्र में संलग्न करें। स्वतः प्रमाणित किए हुए अभिलेखों पर स्वप्रमाणित लिखकर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। किसी त्रुटि या अपूर्णता के सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा, न ही बाद में भेजे गये संलग्नकों को स्वीकार किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आरक्षण तथा निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र न जमा अभ्यर्थी को सम्बन्धित लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। अतिरिक्त अंकों के लिए नियम व निर्देश-पत्र में उल्लिखित अधिकारी का ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें अन्यथा कोई अंक देय नहीं होगा। समस्त प्रमाण-पत्र नियम व निदेश-पत्र में उल्लिखित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं शासन/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। निवास-प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी अन्य प्रदेश (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) का मान्य होगा।



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी.लि.) प्रवेशावेदन-पत्र
(सत्र 2018-19)
प्राप्ति रसीद

अभ्यर्थी का नाम : श्री/श्रीमती/कुमारीसे प्रवेश-साक्षात्कार हेतु
आवेदन-पत्र प्राप्त किया। जिसमें संलग्नकों की कुल संख्या(शब्दों में)अंकों में है।

हस्ताक्षर
कार्यालय सहायक
ग्रन्थालय एवं सूचना-विज्ञानशास्त्री (बी.लि.) प्रवेश-प्रकोष्ठ
सं0सं0वि0वि0, वाराणसी।
